

पुस्तक नं० ६६४

नो० १६६ शिष्ट
१६-११-

I 5869



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 231432



विक्रय विलेख

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. भूमि का प्रकार | : आवासीय |
| 2. वार्ड/ परगना | : नगवां / देहात अमानत |
| 3. मोहल्ला/ग्राम | : ककरमत्ता |
| 4. सम्पत्ति का विवरण | : आराजी नं० 521/1 व उस |

सत्या तिवारी

Deewan...





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 231433

2

	पर स्थित मकान नं०- एन०
	10/79-पी-4-ए
5. मापन की ईकाई	: वर्गमीटर
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल	: 1105 वर्गफीट यानि 102.7 वर्गमीटर
7. सड़क की स्थिति	: प्रस्तावित कच्चा रास्ता
8. अन्य विवरण	: कुछ नहीं
9. सम्पत्ति का प्रकार	: खुली जमीन
10. सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल (बहुमंजिला भवन की स्थिति में)	: कुछ नहीं
11. कुल आच्छादित क्षेत्रफल	: कुछ नहीं
12. स्थिति-फिनिशड/सेमीफिनिशड/अन्य	: कुछ नहीं
13. पेड़ों का मूल्यांकन	: कुछ नहीं
14. बोरिंग/कुआं/अन्य	: कुछ नहीं
15. निर्मित क्षेत्रफल	: कुछ नहीं

अत्या विवारी

D... ..



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 231434

3

16. निर्माण का वर्ष : कुछ नहीं
17. सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित हैं : नहीं
18. प्रतिफल की धनराशि : मु0 4,50,000/- रुपये
19. सरकारी मालियत : मु0 4,90,000/- रुपये
20. स्टाम्प : मु0 34,300/- रुपये

चौहद्दी :-

पूरव:- मकान विपिन कुमार सिंह।

पश्चिम:- जमीन द्वितीयपक्ष क्रेता।

उत्तर:- जमीन सोनू वगैरह।

दक्षिण:- प्रस्तावित कच्चा रास्ता।

सत्या लिबारी

Delhi



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

4

प्रथमपक्ष की सं० (1)

प्रथमपक्ष/विक्रेती

श्रीमती सत्या तिवारी पत्नी
श्री अखिलेश कुमार पाण्डेय
निवासिनी ग्राम व पोस्ट
बैरिया, जिला बलिया।

द्वितीय पक्ष की सं० (1)

द्वितीय पक्ष/क्रेता

दीपक कुमार सिंह पुत्र श्री मोहन
सिंह निवासी मकान नं०- एन०
14/25, सरायनन्दन, सुन्दरपुर,
शहर वाराणसी।

विदित हो कि सम्यक्ति निम्नलिखित जिसका पूर्ण विवरण इस लेखपत्र के अन्त में दर्ज है, तनहां सम्यक्ति प्रथमपक्ष विक्रेती की है, जिसे प्रथमपक्ष विक्रेती ने जरिये बैनामा नविश्ता जगत राम शर्मा से दिनांक 30.09.2009 ई० को हासिल किया है जिसका बही नं० 1 जिल्द सं० 3855 पृष्ठ सं० 217/242 पर क्रमांक 4210 पर दिनांक

सत्या तिवारी

Dalmeida



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



233654

5

30.09.2009 ई0 को रजिस्ट्रीकरण किया गया है, इस प्रकार प्रथमपक्ष विक्रेती बतौर स्वामी काबिज दखील चला आ रहा है उसमें कोई अन्य व्यक्ति शामिल सरीक नहीं है, न हिस्सेदार ही है और न किसी अन्य का कब्जा दखल ही है तथा जिसे हर प्रकार से हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्रथमपक्ष को हासिल है। चूंकि प्रथमपक्ष को रुपये की सख्त आवश्यकता वास्ते बनवाने मकान व निज दीगर खर्च गृहस्थी के दरपेश है बिला सम्पत्ति निम्नलिखित को विक्रय किये रुपये का मिलना व जरूरत का पूरा होना सम्भव नहीं है, फलस्वरूप प्रथमपक्ष ने अपनी निम्नलिखित सम्पत्ति को विक्रय करने की बातचीत आसपास के लोगों से चलाया तथा जिसे खरीदने के लिए द्वितीयपक्ष तैयार है और सबसे अधिक कीमत मु0 4,50,000/- रुपये (चार लाख पचास हजार रुपया) जिसका आधा मु0 2,25,000/- (दो लाख पचीस हजार रुपया) होता है, दे रहे हैं जो बाजार भाव से सही व उचित है इतना या इससे अधिक कीमत अन्य

सत्या तिवाशी

Deedar





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

233653

6

व्यक्ति देने को तैयार नहीं है तथा कीमत मजकूर प्रथमपक्ष को स्वीकार भी है, अस्तु प्रथमपक्ष स्वस्थ विल्ल मस्तिष्क से बिना किसी नाजायज जोर दबाव व प्रभाव के खूब सोच समझकर यह विक्रय पत्र बहक दीपक कुमार सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह निवासी मकान नं०- एन० 14/25, सरायनन्दन, सुन्दरपुर, शहर वाराणसी द्वितीयपक्ष तहरीर कर अपने व अपने उत्तराधिकारियों को निम्नलिखित शर्तों से पाबन्द करती है:-

1. यह कि विक्रय शुदा सम्पत्ति की कुल कीमत मु० 4,50,000/- रुपये (चार लाख पचास हजार रुपया) बजरिये बैंक ड्राफ्ट नं० 416553 यूनियन बैंक आफ इण्डिया शाखा कैण्टोमेन्ट वाराणसी दिनांकित 08.11.2011 समक्ष सब रजिस्ट्रार वाराणसी बखवत रजिस्ट्री बैनामा द्वितीयपक्ष/क्रेता से प्रथमपक्ष को प्राप्त हो रहा है, अब एक भी पैसा जिम्मे द्वितीयपक्ष, प्रथमपक्ष का बाकी नहीं रह गया है।

सत्या लिवारी

Devlina





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 940909


7

2. यह कि निम्नवर्णित सम्पत्ति से प्रथमपक्ष ने अपना कब्जा दखल हटा कर उस पर वाकई कब्जा दखल द्वितीयपक्ष का करा दिया है। द्वितीयपक्ष को अधिकार है कि वह सम्पत्ति विक्रयशुदा पर काबिज दखील रहकर जो फेल मालिकाना चाहे अमल में लावे, इसमें प्रथमपक्ष व वारिसान प्रथमपक्ष को कोई आपत्ति नहीं है और न आइन्दा होगी।
3. यह कि सम्पत्ति विक्रयशुदा में जो जो हक व अधिकार प्रथमपक्ष को हासिल थे वह सभी हक व अधिकार आज की तारीख से द्वितीयपक्ष को हासिल हो गये। द्वितीयपक्ष को अधिकार है कि वह सम्पत्ति विक्रय शुदा से प्रथमपक्ष का नाम खारिज कराकर उसकी जगह अपना नाम मुन्दर्ज कागजात सरकारी करा लेवेगा। इसमें प्रथमपक्ष व वारिसान प्रथमपक्ष को कोई आपत्ति नहीं है और न आइन्दा होगी।

सत्या तिवारी

Dumra





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 940910

8

4. यह कि सम्पत्ति विक्रयशुदा हर प्रकार से पाक व साफ है, कहीं रेहन ख्वाह सट्टा या बैनामा आदि किसी अन्य के पक्ष में तहरीर नहीं हुआ है, और न कहीं जेर जमानत व जेर मुकदमा ही है।
5. यह कि यदि किसी कारण वश सम्पत्ति विक्रय शुदा पर किसी प्रकार का कोई वार देन पाया जावे या द्वितीयपक्ष के कब्जा दखल में किसी प्रकार की दिक्कत पड़े या कब्जा दखल से निकल जावे तो ऐसी सूरत में द्वितीयपक्ष को हक हासिल होगा कि वह अपना कुल विक्रय मूल्य व रजिस्ट्री खर्च मय सूद 2/- रुपया सैंकड़ा माहवार की दर से प्रथमपक्ष की अन्य चल व अचल सम्पत्ति से वसूल कर लेवेगा इसमें प्रथमपक्ष व वारिसान प्रथमपक्ष को कोई आपत्ति नहीं है और न आईबन्दा होगी।
6. यह कि विक्रयशुदा आराजी नम्बर 521/1 पर नगर निगम वाराणसी द्वारा मकान नं० - एन० 10/79-पी-4-ए पड़ा है।

सत्या तिवरि



Deewan





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 940911

9

7. यह कि विक्रयशुदा सम्पत्ति मौके पर आवासीय है और आवासीय प्रयोजन हेतु क्रय विक्रय हो रहा है, कदापि औद्योगिक या व्यावसायिक प्रयोजन हेतु क्रय विक्रय नहीं हो रहा है।
8. यह कि विक्रयशुदा सम्पत्ति पक्की सड़क व पत्थर चौका मार्ग पर स्थित नहीं है बल्कि अन्य स्थान कच्चा रास्ता पर स्थित है, विक्रीत सम्पत्ति नगर निगम सीमा के अन्दर स्थित है। विक्रयशुदा सम्पत्ति खुली भूमि है जिसमें कोई निर्माण नहीं है तथा विक्रीत सम्पत्ति दो तरफ से बाउण्ड्रीवाल से घिरी हुई है।
9. यह कि विक्रयशुदा सम्पत्ति शहरी सीलिंग एक्ट की धारा 10(3) व 10(5) से प्रभावित नहीं है, और न किसी महायोजना में अधिगृहण की गयी है।
10. यह कि प्रथमपक्ष अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की नहीं है तथा उभयपक्ष भारतीय नागरिक हैं।

सत्या निवारी

Deena K. S. R.





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 940912

10

11. यह कि सम्पत्ति विक्रयशुदा के बाबत कोई सट्टा पूर्व में तहरीर नहीं हुआ है।
12. यह कि विक्रयशुदा सम्पत्ति का क्षेत्रफल 102.7 वर्गमीटर है, जिसकी सरकारी मालियत 4600/- रुपये प्रतिवर्गमीटर के हिसाब से मु0 4,73,00/- रुपये व बाउण्ड्रीवाल की सरकारी मालियत मु0 17,000/- रुपये यानि कुल सरकारी मालियत मु0 4,90,000/- रुपये आ रही है, इसलिये 70/- रुपये प्रति हजार के हिसाब से मु0 34,300/- रुपये का स्टाम्प अदा किया जा रहा है।
13. यह कि प्रथमपक्ष ने इस दस्तावेज बैनामा को पढ़ व पढ़वाकर सुन व समझकर स्वस्थ चित्त मस्तिष्क से तहरीर किया है जिसकी पूरी पाबन्दी प्रथमपक्ष व उसके उत्तराधिकारियों पर है और भविष्य में भी होगी।

स्वस्था तिवारी

Deccan



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AS 203323

11

अस्तु यह दस्तावेज बतरीक बैनामा के तहरीर कर दिया कि प्रमाण रहे व समय पर काम आवे।

विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति

बन्दोबस्ती संक्रमणीय भूमिधरी आराजी नं० 521/1 व उस पर स्थित मकान नं०- एन० 10/79-पी-4-ए रकबा 1105 वर्गफीट यानि 102.7 वर्गमीटर (सम्पूर्ण वैधानिक अंश) जो 65 फीट लम्बा उत्तर-दक्षिण हरदो जानिब व 17 फीट चौड़ा पूरब-पश्चिम हरदो जानिब है, स्थित मौजा ककरमत्ता, परगना देहात अमानत, वार्ड नगवां, तहसील सदर, जिला वाराणसी, जिसे संलग्न मानचित्र में लाल तिरछी लकीरों से जाहिर किया गया है जो बैनामे का अंग है, तथा जिसकी चौहद्दी निम्नलिखित है:-

सत्या निवारी

Deewan





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AS 203324

12

पूरब:- मकान विपिन कुमार सिंह।

पश्चिम:- जमीन द्वितीयपक्ष क्रेता।

उत्तर:- जमीन सोनू चगैरह।

दक्षिण:- प्रस्तावित कच्चा रास्ता।

गवाहान-

1. पूरा नाम Shiv Mohan Dikshit
पिता का नाम K. L. Dikshit
पूरा पता KG 7/81-B, Bharat Milap Colony
हस्ताक्षर- [Signature]
वस. [Address]
2. पूरा नाम RUPESH SHARMA
पिता का नाम RAMESH SHARMA
पूरा पता B 21/96 A Kamachha Varanasi
हस्ताक्षर- [Signature]
स्वत्या लिवारी [Signature]

Dee... [Signature]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AS 203325

13

तहरीर दिनांक- 09.11.2011 ई०

मसविदाकर्ता:-

R.K. Jaiswal

राजेश कुमार जौंसवाल, एडवोकेट
कलेक्ट्रेट कोर्ट, वाराणसी।

राइपकर्ता :-

S. S. Singh

मनोज-इलेक्ट्रिशियन
कलेक्ट्रेट कोर्ट वाराणसी।


सत्या तिवारी

S. S. Singh

कार्यालय उप निबन्धक प्रथम वाराणसी

- १- रास्ते की स्थिति : कच्चा रास्ता
- २- निर्माण की स्थिति : कुछ नहीं
- ३- निर्माण की प्रकृति (व्यवसायिक/आवासीय) : कुछ नहीं
- ४- दिशा सूचक : दक्षिण कच्चा रास्ता
- ५- बूझों / कुआँ / बाउन्ड्री वॉल / गेट आदि की स्थिति :

सम्पत्ति का पोस्टकार्ड साईज का रंगीन फोटोग्राफ



- १- विक्रेता : श्रीमती सत्या तिवारी पत्नी श्री अश्विनेश कुमार पाण्डेय
हस्ताक्षर विक्रेता
- २- क्रेता : दीपक कुमार सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह
- ३- प्रतिफल / त्रिआधिकारी द्वारा निर्धारित दर : हस्ताक्षर क्रेता
- ४- सम्पत्ति का विवरण आवासीय नं. 52/1/1 मकान नं. रज. 10/19-पी-4-ए 2कवा 102.7 वर्गमीटर
- ५- चौकड़ी — मौजा व मुहल्ला ककमसा, पठ देहात अमानत, बर्ड नजवा, 76 मटर, जिला वाराणसी
 - पूर्व : सकाय स्विकर सज विपिन कुमार सिंह
 - पश्चिम : जमीन द्वितीयपक्ष क्रेता
 - उत्तर : जमीन सानू वशैरइ
 - दक्षिण : प्रस्तावित कच्चा रास्ता
- ६- स्टाम्प देयता का प्रमाणित करने वाले अन्य तथ्य :

सत्या तिवारी

Deenabhai



भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 32 (1) के अन्तर्गत निष्पादनकर्ताओं की अंगुलियों के सुस्पष्ट चिन्ह

नाम निष्पादन कर्ता / विक्रेता / क्रेता श्रीमती सत्या तिवारी
दाहिने हाथ



अंगुष्ठिका



तर्जनी



मध्यमा



अनामिका



कनिष्ठिका

बायें हाथ का



अंगुष्ठिका



तर्जनी



मध्यमा



अनामिका



कनिष्ठिका

हस्ताक्षर सत्या तिवारी

नाम निष्पादन कर्ता / विक्रेता / क्रेता दीपक

दायें हाथ का



अंगुष्ठिका



तर्जनी



मध्यमा



अनामिका



कनिष्ठिका

बायें हाथ का



अंगुष्ठिका



तर्जनी



मध्यमा



अनामिका



कनिष्ठिका

हस्ताक्षर

December 11





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

27AB 434392

नक्शा नजरी

बन्दोबस्ती संक्रमणीय भूमिधरी आराजी नं० 521/1 व उस पर स्थित मकान नं०- एन० 10/79-पी-4-ए रकबा 1105 वर्गफीट याबि 102.7 वर्गमीटर (सम्पूर्ण वैधानिक अंश) स्थित मौजा ककरमला, परगना देहात अमानत, गाई नगवां, तहसील सदर, जिला वाराणसी



सत्या तिवारी

Drafted by
Manoj Electrostale
C.B.A. Building

Manoj



2444/2011

9097
1999.2.99

In दीपिका गुप्ता
दीपिका गुप्ता

शैलेन्द्र कुमार वर्मा

स्टाम्प विक्रेता

सेन्ट्रल वार एसोसिएशन भवन

कलेक्ट्री कचहरी-वाराणसी

फोन-250/09-10

आज दिनांक 09/11/2011 को
वही सं. 1 जिल्द सं. 4978
पृष्ठ सं. 29 से 60 पर क्रमांक 5869
संज्ञिकृत किया गया।

संज्ञिकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पूर्णमा मिश्रा

SRO-4

Sub Registrar-4, VNS

9/11/2011



2011
235-W